न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश आर.ए.एस

प्रा.पत्र संख्या :– 22/2024

मांगीबाई पत्नी देवीलाल गुर्जर निवासी लीरडी तहसील बेगूँ
प्रार्थीया

बनाम

1. वेणा पिता किशना गुर्जर निवासी लीरडी तहसील बेगूँ
2. सुवालाल पिता चुन्नीलाल गुर्जर निवासी लीरडी तहसील बेगूँ
3. कंचनबाई पिता हीरा गुर्जर निवासी लीरडी तहसील बेगूँ
4. गेदाबाई पिता हीरा गुर्जर निवासी लीरडी तहसील बेगूँ
5. देउबाई पिता हीरा गुर्जर निवासी लीरडी तहसील बेगूँ
6. मांगीबाई पिता हीरा गुर्जर निवासी लीरडी तहसील बेगूँ

विपक्षीगण

उपस्थित :– श्री कैलाशचन्द्र मंत्री
अधिवक्ता प्रार्थीया
श्री राजसिंह चुण्डावत
अधिवक्ता विपक्षी

आदेश दिनांक :– 09.07.2025

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र इस प्रकार से है कि प्रार्थीया के खातेदार की कृषि आराजीयात ग्राम लीरडी प0ह0 दुगार तहसील बेगूँ में होकर आराजी खसरा संख्या 436/344,437/349,438/350 योग कीता–3 कुल रकबा 1.0800 हैक्टर भूमि स्थित है।

यह कि ग्राम लीरडी पटवार हल्का दुगार में आराजी संख्या 345 में स्थित रास्ता से प्रार्थ की उक्त वर्णित आराजीयात जो मौके पर एक चक है में पहुँचने का रास्ता विपक्षीगण की आराजी संख्या 409/345, 456/346, 457/349 व 412/349 की दक्षिणी सीमा पर 12 फिट चौडा रास्ता की आवश्यकता है।

यह कि आवेदक की उक्त आराजीयात पर आने जाने व कृषि यंत्र लाने ले जाने का इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है, जिससे अराजी संख्या 409/345, 456/346, 457/349 व 412/349 की दक्षिणी सीमा पर 12फिट चौडा रास्ता की आवश्यकता है यह रास्ता संलग्न नजरी नक्शा में अ से ब में दर्शाया जा रहा है। यह ही सबसे छोटा मार्ग है जिसके बिना प्रार्थी की भूमि पर काश्त करना संभव नहीं हो पा रहा है। प्रार्थी नियमानुसार रास्ता हेतु राशि जमा कराने को तैयार है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा आराजी संख्या 409/345, 456/346, 457/349 व 412/349 की दक्षिणी सीमा पर 12 फिट चौडा रास्ता स्वीकृत करा राजस्व रेकार्ड में अंकन कराने की कृपा करावें।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता श्री राजसिंह चुण्डावत द्वारा अपना अधिकार पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र का जवाब इस प्रकार प्रस्तुत किया कि ग्राम लीरडी पटवार हल्का दुगार में हम विपक्षीगण की आराजी नम्बर 409/345, 456/346, 457/349 व 412/349 भूमि खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है एव हम विपक्षीगण काश्तकार खातेदार है।

यह कि प्रार्थना पत्र कलम संख्या 1 अस्वीकार है मौके पर कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थीया बिलानाम भूमि में स्थित रास्ते से आगे आराजी नम्बर 449/346 व 451/349 पर रास्ता स्थित है जिसका उपयोग कर प्रार्थीया अपनी खातेदारी की आराजी में आ रही है उक्त रास्ता आराजी के उत्तरी सीमा पर स्थित है। इसी रास्ते का उपयोग उपभोग कर प्रार्थीया अपनी खातेदारी भूमि में आ जा रही है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौडगढ)

यह कि प्रार्थीया अब नया रास्ता हम विपक्षीगण की उक्त खातेदारी की आराजीयात के [illegible] से कायम करवाना चाहती है जहाँ कोई रास्ता ही नही है, फिर भी जबरन ताकत के बल पर [illegible] रास्ता कायम करवाना चाहती है जो कानूनन गलत है। रास्ते के लिए जो भूमि प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित की है वह हम विपक्षीगण की खातेदारी की भूमि है। हमारी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि में नया रास्ता कराने का प्रार्थीया को कोई अधिकार नही है। न्यायहित में प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज फरमाया जावें।

अतः न्यायालय श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र सव्यय खारिज फरमाया जावें।

इस प्रार्थना पत्र पत्रावली में विपक्षीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत होने पूर्व न्यायालय द्वारा तहसीलदार बेगूँ को जरिये पत्रांक 128 दिनांक 4.03.2024 से रास्ते के सम्बन्ध में रिपोर्ट भिजवाने हेतु लिखा जाने पर तहसीलदार बेगूँ द्वारा उनके पत्र क्रमांक 490 के साथ संलग्न पटवारी रिपोर्ट, नक्शाट्रेस ,जमाबंदी ,पर्चामौका रिपोर्ट एवं रास्ते में आने वाली भूमि की डीएलसी दर से विपक्षीगण को भुगतान की जाने वाली राशि की गणना रिपोर्ट जो तहसील राजस्व लेखाकार द्वारा तैयार कर संलग्न की है, इस पत्रावली में प्रस्तुत की है। रिपोर्ट बिन्दुवार निम्न प्रकार से है:–

1– प्रार्थीया के खातेदारी भूमि में पहुँचने के लिए प्रस्तावित रास्ता अत्यधिक आवश्यक है।

2– इस रास्ते अलावा अन्य कोई रास्ता वैकल्पिक नहीं है।

3– प्रस्तावित आराजी संख्या 409/345 मे से 4 गुणा 46 यानि 184 वर्ग मीटर यानि 0.0184 हैक्टर,
आराजी संख्या 456/346 मे से 4 गुणा 25 यानि 100 वर्ग मीटर यानि 0.01 हैक्टर,
आराजी संख्या 457/349 मे से 4गुणा 12 यानि 48 वर्ग मीटर यानि 0.048 हैक्टर तथा
आराजी संख्या 412/349 मे से 4 गुणा 43 यानि 0.0172 वर्ग मीटर यानि 0.0172 भूमि को नजरी नक्शा एवं नक्शाट्रेस में लालस्याही से दर्शाया गया है।

4– प्रार्थीया द्वारा चाहा गया मार्ग न्यूनतम दूरी पर है।

5– पंजीयन रिपोर्ट/प्रभावित काश्तकारो के मुआवजा राशि की गणना पृथक से कराई जाकर संलग्न हैं।

6– प्रस्तावित रास्ते के अधीन अवधारित भूमि में एक छोटा पेड खाखरे का स्थित है।

उपरोक्त रास्ता सम्बन्ध में रिपोर्ट व पर्चामौका एवं पटवारी रिपोर्ट का अवलोकन किया जाने के पश्चात प्राप्त रिपोर्ट के साथ रास्ते के उपयोग में आने वाली भूमि की डीएलसीदर से विपक्षीगण को किस प्रकार राशि का भुगतान किया जाना है कि गणना तहसील बेगूँ को निम्न प्रकार से प्रस्तुत की गई है :–

रिपोर्ट भू.अ.नि. वृत राजगढ अनुसार ग्राम लीरडी प०ह० दुगार में आराजी संख्या 409/345 मे से 184 वर्गमीटर, आ०सं० 456/346 मे से 100 वर्गमीटर, आ०सं० 457/349 मे से 48 वर्गमीटर तथा आराजी संख्या 412/349 मे से 172 वर्गमीटर भूमि कुल रास्ते हेतु प्रस्तावित हैं।

पंजीयन की रिपोर्ट अनुसार प्रभावित भूमि का मूल्य– डीएलसी – 512875/– है।

डीएलसी का दुगुना यानि 512875गुण 2 यानि 1025750/–

ए– आराजी संख्या 409/345 के किसानो को दये मुआवजा राशि 1025750/10000 गुणा 184 यानि 18874/–

क्र.सं.	आराजी संख्या	नाम खातेदार	हिस्सा	राशि
1–	409/345	वेणा पुत्र किशना गुर्जर	सम्पूर्ण	18874

बी– आराजी संख्या 456/346, 457/349 के किसानों को देय राशि 1025750/10000गुणा 148 यानि 15182/–

क्र.सं.	आराजी संख्या	नाम खातेदार	हिस्सा	राशि
1–	456/346 457/349	चुन्नीलाल पुत्र किशना गुर्जर	सम्पूर्ण	15182

सी – आराजी संख्या 412/349 के किसानो हेतु देय राशि 1025750/10000 गुणा 172 यानि 17644/–

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

आराजी संख्या	नाम खातेदार	हिस्सा	राशि
412/349	कंचनबाई पुत्री हीरा गुर्जर	1/4	4411
412/349	गेंदाबाई पुत्री हीरा गुर्जर	1/4	4411
412/349	देउबाई पुत्री हीरा गुर्जर	1/4	4411
412/349	मांगीबाई पत्नी स्व. हीरा गुर्जर	1/4	4411
		योग	17644

इस प्रकार राशि 18874+15182+17644 यानि 51700/– रूपये रास्ते की भूमि के लिए विपक्षीगण को भुगतान करने हेतु दिये जाने पर रास्ता कायम किया जा सकता है।

पत्रावली में प्रार्थना पत्र 251ए पर एवं प्राप्त रास्ता रिपोर्ट पर उभयपक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया। अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा अपनी बहस प्रार्थना पत्र के अनुसार ही करते हुए प्रार्थना वर्णित प्रार्थीया की कृषि भूमि पर पहुँच के लिए विपक्षीगण की उक्त कृषि आराजीयात के दक्षिण ओर 12 फिट चौडा रास्ता राजस्व रिकोर्ड में कायम किये जाने का निवेदन किया जिसके लिए प्रार्थीया नियमानुसार राशि जमा कराने हेतु सहमत है। अधिवक्ता विपक्षीगण ने अपनी बहस जवाब अनुसार करते हुए ही निवेदन किया है कि प्रार्थीया उनकी कृषि भूमि पर आने जाने के लिए अन्य आराजी का उपयोग उपभोग कर रही है जिसके आराजी संख्या449/346 व 451/349 पर रास्ता स्थित है। प्रार्थीया जबरन हम विपक्षीगण की कृषि भूमि मे से रास्ता कायम कराना चाहती है जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है।

उभयपक्ष की बहस सुने जाने के पश्चात प्राप्त रास्ता रिपोर्ट का अवलोकन किया जाना पर पाया कि प्रार्थीया की कृषि आराजीयात मे आने जाने के लिए विपक्षीगण की उक्त खातेदारी की कृषि आराजी का रास्ता ही निकटतम रास्ता है, और कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होना रिपोर्ट में अंकित किया है। प्रार्थीया विपक्षीगण की कृषि भूमि मे से रास्ते हेतु उपयोग उपभोग में ली जाने वाली की डीएलसी दर से मुआवजा राशि जमा कराने हेतु पूर्णतया सहमत है। हमारी विनम्र राय से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के तहत बने नियमानुसार प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीया को उनके खातेदारी की कृषि आराजी मौजा लीरडी प0ह0 दुगार की आराजी संख्या 436/344, 437/349, 438/350 कीता– 3 रकबा 1.0800 हैक्टर भूमि पर आने जाने हेतु रास्ता विपक्षीगण की कृषि आराजी मौजा लीरडी प0ह0 दुगार की आराजी संख्या 409/345 मे से 184 वर्गमीटर, आ0सं0 456/346 मे से 100 वर्गमीटर , आ0सं0 457/349 मे से 48 वर्गमीटर तथा आराजी संख्या 412/349 मे से 172 वर्गमीटर भूमि सार्वजनिक रास्ते के लिए राजस्व रिकोर्ड में दर्ज किये जाने हेतु प्रार्थीया द्वारा रास्ते में आने वाली भूमि की मुआवजा राशि कुल 51700/– रूपये तहसील कार्यालय में जमा कराने पर उक्त विपक्षीगण की भूमि से 12फिट चौडा रास्ता कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थीया द्वारा रास्ता कायम कराये जाने हेतु जमा कराई गई रास्ते की मुआवजा राशि का भुगतान विपक्षीगण को निर्णयनुसार किया जावे । निर्णय की प्रति तहसीलदार बेगूॅ को पालनार्थ दी जाती हैं।

आदेश आज दिनांक 09.07.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूॅ
सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूं (चित्तौड़गढ़)

क्रमांक/सरिश्ता/2025/532 दिनांक :– 21-7-25

प्रार्थना पत्र संख्या 22/2024 व अनवान श्रीमति मांगीबाई बनाम वेणा वगै प्रार्थना प.त्र अ0धा0 251ए में न्यायालय द्वारा किये गये आदेश की प्रति वास्ते पालनार्थ तहसीलदार बेगूॅ को दी जाती है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूॅ
सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूं (चित्तौड़गढ़)